



2026:AHC:54194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 158/2026

इंद्र बहादुर @ राम भदौरिया और अन्य

.....

प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

..... विपक्षी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता : जितेंद्र कुमार शर्मा, लक्ष्मी दुबे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 51

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री पंकज कुमार मिश्रा, प्रतिवादी/सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री आर.के. सिंह को सुना गया।
2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए (1) के तहत यह आपराधिक अपील अपीलकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि अपील को स्वीकार किया जाए और विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), इटावा द्वारा सत्र वाद संख्या 1027/2025 (राज्य बनाम इंद्रबहादुर @ राम भदौरिया और अन्य) में पारित विवादित संज्ञान आदेश दिनांक 18.07.2025 को रद्द कर दिया जाए। यह मामला अपराध संख्या 102/2025 से उत्पन्न हुआ है, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 108, 351(3), 352 और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(आर)(एस), 3(2)(वी) के तहत थाना बकेवर, जिला इटावा में दर्ज है।
3. एफ.आई.आर. के अनुसार, दिनांक 25.04.2025 को लगभग रात्रि 9:30 बजे, अपीलकर्ता अन्य सह-अभियुक्तों के साथ सूचनाकर्ता के घर आए। उन्होंने उसके पुत्र अंकित दोहरे का नाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लेकर उसे गाली-गलौज की, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया तथा उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी। जब उसने विरोध किया, तो उन्होंने उसकी जाति को लेकर अपमानित किया और पुनः जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि वे अंकित को मार देंगे क्योंकि उसने उनकी भांजी पलक से बातचीत की थी। इन धमकियों के कारण अंकित घर वापस नहीं आया। सूचनाकर्ता ने 112 पर कॉल किया। बाद में अंकित का शव आम के पेड़ से लटका हुआ मिला। उसने पुलिस को सूचना दी कि अपीलकर्ताओं के भय से अंकित ने आत्महत्या कर ली।

4. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. कथित घटना के एक दिन बाद दर्ज की गई, जिसके विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। मृतक अंकित, अपीलकर्ताओं की नातिन के साथ अक्सर छेड़छाड़ करता था। इस संबंध में अपीलकर्ताओं ने सूचनाकर्ता से शिकायत की थी तथा चेतावनी दी थी कि यदि अंकित नहीं रुका तो वे विधिक कार्रवाई करेंगे। उनकी शिकायत पर सूचनाकर्ता ने अपने पुत्र अंकित को डांटा और मारा-पीटा, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। अपीलकर्ताओं का उसकी आत्महत्या में कोई हाथ नहीं है। आरोपों से यह भी स्पष्ट है कि कथित धमकी के समय अंकित घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलकर्ताओं ने अंकित को धमकी दी या अपमानित किया हो। अतः आत्महत्या के दुष्प्रेरण का कोई अपराध नहीं बनता।

5. विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि मृतक ने उसी घटना के तुरंत बाद आत्महत्या की, जब अपीलकर्ताओं ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सूचनाकर्ता ने विवेचक को बताया कि घटना के समय वह तथा मृतक दोनों घर पर उपस्थित थे। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि अंकित भी वहीं मौजूद था। इससे अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई धमकियों और आत्महत्या के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। उसका कथन स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अपीलकर्ताओं की धमकियों और मृतक द्वारा की गई आत्महत्या के बीच सीधा संबंध है। घटनाक्रम या तथ्यों से कोई अन्य व्याख्या मेल नहीं खाती।

6. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात्, न्यायालय यह पाता है कि अभियोजन का मूल आधार इस आरोप पर टिका है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक अंकित को धमकी दी, जिसके कारण उसने आत्महत्या की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इस मामले के तथ्यों पर विचार करने से पूर्व, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के अंतर्गत अपराध के आवश्यक तत्वों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा। धारा 108 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने हेतु यह आवश्यक है कि उकसावा, षड्यंत्र अथवा जानबूझकर सहायता का स्पष्ट मामला हो, तथा अभियुक्त के कृत्य और आत्महत्या के बीच निकट एवं जीवंत संबंध स्थापित हो। मात्र गाली-गलौज या सामान्य धमकी, बिना किसी सकारात्मक कृत्य या दोषसंकल्प के, “दुष्प्रेरण” की विधिक कसौटी को पूरा नहीं करती।

8. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने **गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य (2017) 1 एससीसी 433** में स्पष्ट रूप से कहा है कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसावे का कार्य होना आवश्यक है, और मात्र उत्पीड़न या धमकी, यदि घटना के समय के निकट कोई सकारात्मक कार्य न हो, पर्याप्त नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट दोषसंकल्प तथा अभियुक्त के आचरण और आत्महत्या के बीच जीवंत संबंध की आवश्यकता पर बल दिया। इसी प्रकार **एम. मोहन बनाम राज्य (2011) 3 एससीसी 626** में यह कहा गया कि अपराध सिद्ध करने हेतु स्पष्ट दोषसंकल्प तथा ऐसा सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य होना चाहिए जो मृतक को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे। वर्तमान मामले में ऐसे आवश्यक तत्व स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं।

10. उपर्युक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने पर, यह न्यायालय पाता है कि यदि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों को उनके प्रथम दृष्टया रूप में सत्य मान भी लिया जाए, तब भी वे ऐसे किसी उकसावे का खुलासा नहीं करते जो इतनी गंभीरता या निकटता का हो कि मृतक को आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर सके। कथित धमकियाँ सामान्य प्रकृति की हैं तथा उनमें वह निरंतरता या तात्कालिकता का तत्व नहीं है, जो दुष्प्रेरण स्थापित करने के लिए आवश्यक है।

11. इसी प्रकार, उदे सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2019) 17 एससीसी 301 के मामले में प्रस्तर 16 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया है:

“16. आत्महत्या के दुष्प्रेरण के आरोप वाले मामलों में, आत्महत्या करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने वाले कृत्य/कृत्यों का प्रमाण होना आवश्यक है। यह विवादित नहीं है कि आत्महत्या के कारण का प्रश्न, विशेष रूप से



आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध के संदर्भ में, अत्यंत जटिल होता है, जिसमें मानव व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाओं के बहुआयामी एवं जटिल पहलू सम्मिलित होते हैं। दुष्प्रेरण के आरोप के मामलों में न्यायालय ऐसे कृत्य/कृत्यों के ठोस और विश्वसनीय प्रमाण की तलाश करता है, जो आत्महत्या के लिए उकसाते हों। आत्महत्या के मामलों में, मात्र यह आरोप कि किसी व्यक्ति द्वारा मृतक को परेशान किया गया, पर्याप्त नहीं होता, जब तक कि अभियुक्त की ओर से ऐसा कोई कृत्य न हो जो उस व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे और ऐसा कृत्य घटना के समय के निकट होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने दूसरे द्वारा की गई आत्महत्या में दुष्प्रेरण किया है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है।”

12. वर्तमान मामले के तथ्यों में, आरोपों को यदि उनके प्रथम दृष्टया रूप में भी स्वीकार कर लिया जाए, तो वे केवल इतना दर्शाते हैं कि अपीलकर्ताओं ने सूचनाकर्ता के घर पर हुए विवाद के दौरान, मृतक को उसकी माता की उपस्थिति में इस कारण से धमकी दी कि उसने उनकी नातिन के साथ छेड़छाड़ की थी। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अधिकतम यही संकेत मिलता है कि यह प्रतिक्रिया एक कथित गलत कार्य के प्रति उत्पन्न हुई थी। हालाँकि, इस प्रकार की धमकी, जो विवाद के दौरान उत्तेजना में दी गई हो, विशेषकर जब एक पक्ष को यह विश्वास हो चाहे वह सही हो या गलत कि उनकी पुत्री/नातिन के साथ मृतक द्वारा छेड़छाड़ की गई है, उसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 108 के तत्वों को आकर्षित करने हेतु “उकसावा” नहीं माना जा सकता। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह दर्शाए कि अपीलकर्ताओं द्वारा कोई जानबूझकर या निरंतर आचरण किया गया हो, जिसका उद्देश्य मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना था।

13. अतः, अपीलकर्ताओं की ओर से किसी उकसावे या जानबूझकर सहायता को प्रदर्शित करने वाली कोई ठोस सामग्री न होने तथा आत्महत्या के लिए एक संभावित वैकल्पिक कारण उपलब्ध होने के कारण, धारा 108 बी.एन.एस. के आवश्यक तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप,



अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

14. परिणामतः, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। विवादित कार्यवाही, जिसमें एफ.आई.आर. तथा उससे उत्पन्न समस्त अनुवर्ती कार्यवाहियाँ शामिल हैं, एतद्वारा रद्द किए जाते हैं।

(माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार-X)

17 मार्च, 2026

एस. के.

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।